महत्वपूर्ण / सूचना का अधिकार
संख्या 300/ xxxi(13)G/ 2010

प्रेषक,

राजीव चन्द्र
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 16 अप्रैल, 2010

विषयः— " ऐसी संस्थाएं जो लोक प्राधिकारी नहीं है, से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के सम्बन्ध में। "

महोदय,

शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों से ऐसी सूचना देने के लिये निर्देश दिये गये थे, जो सूचना लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी। सूचना का अधिकार की परिभाषा के अन्तर्गत ऐसे निर्देश दिया जाना, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा उचित नहीं पाया गया। मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्याः 2038 / एम0एस0 सन् 2009 व ऐसी 12 अन्य रिट याचिकाओं को लोक प्राधिकारी व सूचना का अधिकार के बिन्दु पर सुना तथा दिनांक 09.02.2010 को निर्णय दिया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आवेदकों द्वारा ऐसे विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है, के सम्बन्ध में सूचना मॉगी गयी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त विद्यालयों को आवेदक द्वारा मॉगी गयी सूचना देने के लिये निर्देश दिये गये। द्वितीय अपील में सूचना आयोग द्वारा भी इन्हें सूचना न देने के आधार पर क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी।

2. इन मामलों में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सम्बन्धित विद्यालयों के संचालक समितियों द्वारा रिट याचिका दाखिल की गयी और मा0 सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी गयी। मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्याः 2038 / एम0एस0 / 2009 तथा अन्य 12 अन्य रिट याचिकाओं में दिनांक 09.02.2010 को निर्णय देकर स्पष्ट किया कि सम्बन्धित विद्यालय लोक प्राधिकारी नहीं हैं क्योंकि वे न तो संविधान के द्वारा, न ही संसद या विधायिका द्वारा बनाये गये किसी कानून से गठित संस्थाएं हैं, और न ही वे राज्य सरकार की अधिसूचना से गठित संस्था है और उनका वित्त पोषण भी राज्य सरकार से नहीं होता है।

3. ऐसी संस्थायें जो लोक प्राधिकारी नहीं हैं, उनसें से सम्बन्धित यदि कोई सूचना राज्य सरकार के किसी कार्यालय में उपलब्ध है तब सम्बन्धित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष की सूचना के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को दे सकते हैं परन्तु जो सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है वह सम्बन्धित विद्यालय / संस्था से प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित विद्यालय / संस्था को निर्देश नहीं देगें।

4. मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार की परिभाषा दी गयी है जिसके अनुसार सूचना का अधिकार का तात्पर्य ऐसी सूचना प्राप्त करने के अधिकार से है जो आवेदक द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्राप्त की जा सकती है और जो लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है।

अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जब आवेदक द्वारा ऐसी संस्था के सम्बन्ध में सूचना मांगी जाये जो लोक प्राधिकारी नहीं है अथवा ऐसी सूचना मांगी जाये जो लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में अथवा नियंत्रण में न हो, तब मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारी व सूचना का अधिकार की जो व्याख्या की गयी है, उसके आलोक में उपयुक्त कार्यवाही की जाये।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्या /xxxi(13)G/ 2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।